"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 जून 2017—ज्येष्ठ 13, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6–23/2014/1/एक. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सेवा भर्ती विनियम, 2017 कहलाएंगे।

   (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है इन विनियमों की अनुसूची–एक के कॉलम (4) में उल्लिखित प्राधिकारी;

   (ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है विनियम 11 के अनुसार भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा/चयन;

   (घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ड.) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्र. एफ 8–5, पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) **"चयन समिति"** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सेवा;

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.–** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.–** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(क) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.–** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.–** (1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में की जाने वाली समस्त भर्तियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा प्रकिया नियम, 2014 के अनुसार होगी।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(4) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी।

(5) उप–नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़कर, जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(6) लिखित परीक्षा के पश्चात्, सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति गठित की जायेगी, जो मापदण्ड निर्धारित करने हेतु समर्थ होगी और जो इन मापदण्डों एवं अन्य युक्तियुक्त मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी की सहमति से लागू करेगी।

(7) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन

शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं,

नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा

शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पाँच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य आयोग/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (एक) (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी अन्य मामले में, ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ञ) ऐसे आवेदक, जिसने शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रुप में सेवा की हो, उतनी कालावधि के लिए छूट हेतु पात्र होंगे, जितनी कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. एफ–1–2/2002/1/3 दिनांक 02–06–2004 तथा परिपत्र क. एफ–1–2/2002/1/3 दिनांक 10–02–2006 के अनुसार उसने शासकीय सेवा में भर्ती हेतु शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रुप में सेवा की हो, किन्तु किसी भी मामले में, आयु में 45 वर्षों से अधिक की छूट नहीं दी जायेगी और इस प्रयोजन हेतु छः माह से अधिक की सेवा को एक वर्ष माना जायेगा।

(ट) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. एफ–3–2/2002/01–03 रायपुर दिनांक 30–01–2012 के अनुसार जारी किया जायेगा। सभी कर्मचारी, जो संविदा आधार पर कार्यरत हों, के द्वारा शासकीय सेवा के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आयु सीमा में संविदा अवधि के रूप में कार्यरत पूर्ण वर्ष की संख्या के बराबर अवधि की छूट दी जायेगी।

(ठ) उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्ग के आधार पर छूट का लाभ प्राप्त करने के पश्चात्, भासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ड) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होना चाहिये, जैसा कि अनुसूची–तीन में यथा दर्शित हैं।

(तीन) **शुल्क**— (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके चयन के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये :

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जाँच, जैसी की आवश्यक समझी जाये, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन जैसा कि समय–समय पर सरकार द्वारा घोषित किया जाये, से संबंधित किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चय न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात्, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी जाती है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **चयन/प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.**— (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती—

(एक) सीधी भर्ती द्वारा, अनुसूची—दो में यथा उल्लिखित पदों में चयन हेतु, आयोग के माध्यम से लिखित प्रतियोगी परीक्षा ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथा विनिश्चित किया जाये।

(दो) लिखित परीक्षा के पश्चात्, कौशल परीक्षा संचालन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी।

(तीन) लिखित तथा प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर, पर्याप्त संख्या में अर्हकारी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

(चार) लिखित एवं कौशल परीक्षा के आधार पर, चयन सूची तैयार की जायेगी, तत्पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

(2) चयन द्वारा नियुक्ति— (एक) अनुसूची—दो में दर्शाये गये अनुसार सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती के लिये, अभ्यर्थियों का चयन, ऐसे अंतरालो पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय—समय पर अवधारित करे।

(दो) सेवा में सम्मिलित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।

(तीन) आयोग के चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के गैर—कार्यपालिक पदों पर चयन समिति द्वारा कोई साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(चार) नियुक्ति प्राधिकारी समय—समय पर एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार होगा।

12. **चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.**— (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की मेरिट क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, मेरिट क्रम में तैयार करेगी, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को नियुक्ति हेतु सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) इस विनियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकित सदस्य सम्मिलित होंगे :

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो तथा समिति का कार्यकाल, उसके गठन या उसके पुनर्गठन किये जाने से एक वर्ष, इसमें से जो पहले हो, के लिये होगा।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(4) समिति का कार्यकाल, उसके गठन या उसके पुनर्गठन किये जाने से एक वर्ष, इसमें से जो पहले हो, के लिये होगा।

(5) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहाँ भी वर्गो के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहाँ विचार का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचार के क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचार के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, के नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) पद से पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिये, निम्नानुसार मापदण्ड होंगे :–

(एक) तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति, वरिष्ठता–सह–उपयुक्ता के अनुसार किया जाएगा।

(दो) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान पर पदोन्नति, योग्यता–सह–वरिष्ठता के अनुसार किया जाएगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार, चयन सूची के तैयार करने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं किया जायेगा।

16. **चयन सूची.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं न्यूनतम 25ः तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(3) चयन सूची साधारणतः इसके प्रकाशन किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा तथा वह, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों के लिये नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार उनके नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**—यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे आयोग/राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबंधित किये जाने हेतु शासन द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सचिव	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	37400—67000 + ग्रेड वेतन 8700
2.	विधिक सलाहकार	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अनुसार
3.	उप सचिव	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 7600
4.	परीक्षा नियंत्रक	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 6600
5.	अवर सचिव	2	आयोग/राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 6600
6.	उप संचालक (वित्त)	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 6600
7.	अपर परीक्षा नियंत्रक	1	आयोग/राज्य शासन	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400
8.	विधि अधिकारी (अस्थाई)	1	आयोग	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400

9.	प्रोग्रामर	2	आयोग	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400
10.	सांख्यिकी अधिकारी (अस्थाई)	1	आयोग	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400
11.	उप परीक्षा नियंत्रक	1	राज्य शासन	द्वितीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4400
12.	अनुभाग अधिकारी	7	आयोग	द्वितीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4400
13.	निज सचिव	2	आयोग	द्वितीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4400
14.	सहायक प्रोग्रामर	1	आयोग	तृतीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4300
15.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	राज्य शासन	तृतीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4300
16.	शीघ्रलेखक / निज सहायक	3	आयोग	तृतीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4300
17.	सहायक ग्रेड—एक	16	आयोग	तृतीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4300
18.	ग्रंथपाल	1	आयोग	तृतीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4200
19.	स्टोर कीपर	1	आयोग	तृतीय श्रेणी	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4200
20.	शीघ्रलेखक ग्रेड—तीन	5	आयोग	तृतीय श्रेणी	5200—20200 + ग्रेड वेतन 2800
21.	सहायक ग्रेड—दो	16	आयोग	तृतीय श्रेणी	5200—20200 + ग्रेड वेतन 2400
22.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	04	आयोग	तृतीय श्रेणी	5200—20200 + ग्रेड वेतन 2400
23.	स्टेनो टायपिस्ट	03	आयोग	तृतीय श्रेणी	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1900
24.	सहायक ग्रेड—तीन	32	आयोग	तृतीय श्रेणी	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1900
25.	वाहन चालक	8	आयोग	तृतीय श्रेणी	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1900
26.	वाहन चालक (अस्थाई)	2	आयोग	तृतीय श्रेणी	5200—20200 + ग्रेड वेतन 1900
27.	दफ्तरी	3	आयोग	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1400
28.	जमादार	1	आयोग	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1400
29.	भृत्य	16	आयोग	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300
30.	डाक रनर	2	आयोग	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300
31.	फर्राश	2	आयोग	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440 + ग्रेड वेतन 1300
32.	वाहन चालक	1	आयोग		कलेक्टर दर
33.	भृत्य	8	आयोग		कलेक्टर दर
34.	माली	2	आयोग		कलेक्टर दर
35.	सफाईवाला	2	आयोग		कलेक्टर दर
	कुल	152			

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पदों का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [(नियम 6 (2)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(2) (ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(2)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग						
1.	सचिव	1			100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा
2.	विधिक सलाहकार	1				संविदा आधार पर (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर के व्यक्ति की संविदा नियुक्ति द्वारा)
3.	उप सचिव	1			100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा
4.	परीक्षा नियंत्रक	1			100%	राज्य प्रशासनिक सेवा/उच्च शिक्षा विभाग
5.	अवर सचिव	2		50%	50%	राज्य प्रशासनिक सेवा/ आयोग से पदोन्नति द्वारा
6.	उप संचालक (वित्त)	1			100%	राज्य वित्त सेवा
7.	अपर परीक्षा नियंत्रक	1			100%	राज्य प्रशासनिक सेवा/आयोग के आईटी अनुभाग के वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार द्वारा
8.	विधि अधिकारी (अस्थाई)	1	100%			
9.	प्रोग्रामर	2	100%			
10.	सांख्यिकी अधिकारी (अस्थाई)	1				
11.	उप परीक्षा नियंत्रक	1			100%	स्कूल शिक्षा से प्रतिनियुक्ति पर
12.	अनुभाग अधिकारी	7		100%		

13.	निज सचिव	2		100%		
14.	सहायक प्रोग्रामर	1	100%			सीधी भर्ती द्वारा
15.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1			100%	वित्त विभाग /राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
16.	शीघ्रलेखक / निज सहायक	3		100%		
17.	सहायक ग्रेड–एक	16		100%		
18.	ग्रंथपाल	1	100%			
19.	स्टोर कीपर	1	100%			
20.	शीघ्रलेखक	5	60%	40%		
21.	सहायक ग्रेड–दो	16		100%		
22.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	04	100%			
23.	स्टेनो टायपिस्ट	03	100%			
24.	सहायक ग्रेड–तीन	32	75%	25%		सहायक ग्रेड–तीन के कुल रिक्तियों का 25%, पदों को ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जो मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा हायर सेकेण्डरी प्रमाणपत्र (पुरानी पाठ्यक्रम) के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।
25.	वाहन चालक	10	100%			
26.	दफ्तरी	3		100%		
27.	जमादार	1		100%		
28.	भृत्य / डाक रनर	18	100%			
29.	फर्राश	2	100%			
30.	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	1	आयोग			कलेक्टर दर
31.	भृत्य (कलेक्टर दर)	8	आयोग			
32.	माली (कलेक्टर दर)	2	आयोग			
33.	सफाईवाला (कलेक्टर दर)	2	आयोग			

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग		
1.	विधि अधिकारी (अस्थाई)	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से विधि में प्रथम श्रेणी स्नातक एवं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रुप में 5 वर्ष का अनुभव।	
2.	प्रोग्रामर	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि । अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में अभियांत्रिकी स्नातकोत्तर उपाधि।	
3.	सांख्यिकी अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।	
4.	सहायक प्रोग्रामर	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में अभियांत्रिकी उपाधि।	
5.	ग्रंथपाल	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम श्रेणी में उपाधि।	
6.	स्टोर कीपर	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से स्टोर कीपिंग में प्रथम श्रेणी में उपाधि। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा स्टोर कीपिंग में डिप्लोमा।	
7.	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ	

				किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/ संस्था/ शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :- (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये- हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये- अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये- ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यकम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र और डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
8.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)	
9.	स्टेनो टायपिस्ट	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा	

				पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
10.	सहायक ग्रेड–तीन	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
11.	वाहन चालक	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा ड्राईविंग लायसेंस (हल्के मोटर वाहन) होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा विनिश्चित अन्य मापदण्ड अनुसार।	वाहन के टायर बदलने तथा इलेक्ट्रिक मशीनरी का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए
12.	भृत्य/डाक रनर	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कम से कम द्वितीय श्रेणी में 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा विनिश्चित अन्य मापदण्ड अनुसार।	
13.	फर्राश	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कम से कम द्वितीय श्रेणी में 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) आयोग द्वारा विनिश्चित अन्य मापदण्ड अनुसार।	

टीप :– ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची--चार
(नियम 16 देखिये)

स. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	न्यूनतम अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	05 वर्ष	आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा समय--समय पर नामांकित किए जाएंगे
2.	सहायक ग्रेड--एक	अनुभाग अधिकारी	05 वर्ष	आयोग के सचिव द्वारा समय--समय पर नामांकित किए जाएंगे
3.	निज सहायक	निज सचिव	05 वर्ष	
4.	शीघ्रलेखक	निज सहायक	05 वर्ष	
5.	सहायक ग्रेड--दो	सहायक ग्रेड--एक	05 वर्ष	
6.	सहायक ग्रेड--तीन	सहायक ग्रेड--दो	05 वर्ष	
7.	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक	05 वर्ष	
8.	भृत्य/डाक रनर (हायर सेकेण्डरी 10+2 उत्तीर्ण)	सहायक ग्रेड--तीन	05 वर्ष	
9.	भृत्य/डाक रनर	जमादार/दफ्तरी	05 वर्ष	

टीप :-- (1) शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए अधिसूचना/आयोग का निर्णय के अनुसार, ब सीमित विभागीय परीक्षा, पदोन्नति हेतु आयोजित की जायेगी।

(2) यदि किसी पद पर पदोन्नति, एक से अधिक सीधी भर्ती के पदों से संभव हो, तो पदोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता, वही होगी जो अधिकतम अर्हता के साथ सीधी भर्ती के पद के लिये है। पदोन्नति के लिए यह भी आवश्यक है कि पदोन्नति चैनल के कनिष्ठतम पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाये। एक से अधिक पदों से पदोन्नति की स्थिति में, पदोन्नति चैनल के किसी ऐसे पद पर सीधी भर्ती भी स्वीकार्य होगी।

रायपुर, दिनांक 3 जून 2017

कमांक एफ 6--23/2014/1/एक. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 6--23/2014/1/एक, दिनांक 3 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

Raipur the, 3rd June 2017

NOTIFICATION

No. F 6-23/2014/1/One. — In exercise of the powers conferred by clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following regulations relating to the recruitment to the Chhattisgarh Public Service Commission Services, namely :-

REGULATIONS

1. **Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Chhattisgarh Public Service Commission Services Recruitment Regulations, 2017.

(2) These regulations shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definition.** – In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Appointing Authority**" means authority mentioned in column (4) of Schedule-I of these regulations;

(b) "**Commission**" means Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "**Examination**" means a competitive examination/selection conducted for the recruitment as per Regulation 11;

(d) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated – 26th, the December, 1984, as amended from time to time;

(g) "**Schedule**" means a Schedule appended to these regulations;

(h) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "**Selection Committee**" means the Selection Committee approved by the Commission;

(k) "**Services**" means the Chhattisgarh Public Service Commission Services;

(l) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application**. - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these regulations shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the service**. - The service shall consist of the following persons, namely :-

(a) Persons, who at the commencement of these regulations are holding substantively or officiating the post specified in Schedule-I;

(b) Persons, recruited to the service before the commencement of these regulations; and

(c) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these regulations.

5. **Classification, scale of pay, etc.**- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I :

Provided that the Government may, from to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**-(1) All recruitments for Chhattisgarh Public Service Commission will be according to Chhattisgarh Public Service Commission Rule of Procedure 2014.

(2) Recruitment to the service, after the commencement of these regulations, shall be made by the following methods, namely :-

(a) by direct recruitment, through competitive examination;

(b) by promotion of the members of the service;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

(3) The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(4) Subject to the provisions of these regulations, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority/ Secretary, Chhattisgarh Public Service Commission.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(6) For the purpose of filling up posts by direct recruitment after written examination, a selection committee shall be formed who shall be able to fix norms, apply those norms and any other appropriate norms with the consent of the Appointing Authority.

(7) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued, from time to time, under this Act by the General Administration Department of the Government shall also be applicable.

7. **Appointment to the service**. - After the commencement of these regulations, appointment in the services shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in regulation 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment**.- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) Age – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by

him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 (six) months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the

Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three) years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short term engagement;

(b) full filling the condition of enrolment.

(iii) Ex-servicemen/ Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned Officers);

(iv) Ex-servicemen /Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vi) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.;

(vii) Ex-Servicemen invalidated out of service.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple awarded under the Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of the Shaheed Rajiv Pande Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo awards holder candidates and National Young Award holder candidates;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Commissions/Corporations/Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in Rule 8 (I)(d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case shall these age limit be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(j) Applicants who have served as Shiksha Karmi/Panchayat Karmis shall be eligible for relaxation for the period which they have served as Shiksha Karmi/Panchayat Karmi for recruitment in Government service in accordance with General Administrative Department Circular No. F-1-2/2002/1/3 dated 02.06.2004 and Circular No. F-1-2/2002/1/3 dated 10.02.2006, but in no case the relaxation shall exceed the age of 45 years and for this purpose service of more than six months shall be deemed to be one year.

(k) As per Circular No. F-3-2/2002/1-3 Raipur dated 30.01.2012 issued by Chhattisgarh Government, General Administration Department. All the employees who are working on contractual basis for the submission of application for government service the relaxation in age limit will be given for the period equal to number of years completed in working as contractual period. This limit not be exceed 38 years.

(l) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(m) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(II) Educational qualifications:- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fee:- (A) The Candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority/Commission.

(B) The Candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. **Disqualifications.-** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means directly or indirectly may be held by the Appointing Authority to be disqualification from selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence relating to moral turpitude shall not be eligible for any service or post :

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidate shall be final.**- (1) The decision of the Appointing Authority/Selection Committee as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. **Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/ Interview.**- (1) Direct recruitment by competitive examination-

(i) For selection to the posts as mentioned in Schedule-II, by direct recruitment, a written competitive examination through the Commission shall be taken as decided by the Appointing Authority from time to time.

(ii) A Selection Committee shall be formed by Appointing Authority for conducting efficiency test after the written examination.

(iii) On the basis of merit list of candidates in written and competitive examination sufficient number of qualifying candidates shall be invited for efficiency test.

(iv) Select list shall be prepared on the basis of written and efficiency tests then selected candidates shall be appointed.

(2) Appointment by Selection- (i) The selection of candidates for recruitment to the posts included in the service as shown in Schedule-II, shall be held at such intervals as the Appointing Authority may from time to time determine.

(ii) The selection to the posts included in the service shall be made through interview by the Selection Committee.

(iii) No interviews shall be taken by the selection committee for Class four and Class three posts in non-executive cadre.

(iv) The Appointing Authority shall, from time to time, constitute a Selection Committee consisting of three members.

(3) At the time of recruitment to the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(4) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent

Authority that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidate of Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for persons with disabilities shall be as per the directives of General Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.**- (1) The Selection Committee shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Appointing Authority for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, person with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) Subject to the provisions of these regulations and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules. 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion**.- (1) There shall be a Committee consisting of the members to be nominated by the Appointing Authority as mentioned in Schedule-IV, for initial selection for promotion of the eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year and the tenure of Committee shall be for one year from its formation or its reconstitution, whichever occurs earlier.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) Tenure of Committee is for one year from its formation or its reconstitution whichever occur first.

(5) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(6) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. **Conditions of eligibility for promotion.**- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service as specified in column (4) of Schedule-IV (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation – Manner of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder

cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider filling the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department, from time to time, shall be applicable for promotion.

15. **Preparation of list of suitable candidates.**- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and the promotion during the course of on year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the select list of persons for promotion from the post, the criteria shall be as under -

(i) from the Class - III to higher pay - scale of Class - III, Class III to Class- II, Class II to higher pay-scale of Class-II, Class-II to Class-I, promotion shall be made as per seniority subject to fitness.

(ii) from Class-I to higher pay-scale of Class-I, promotion shall be made as per merit-cum-seniority.

(3) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation - The person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select list**. - (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list as finally approve by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the member of the service from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(3) The select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of calendar year from the date of its publication:

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and he may, if he thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the Selection list.** (1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in the order in which their names appear in the list in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.** - Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

19. **Interpretation**.- If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Commission/State Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation**.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner, as may appear to it to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these regulations.

21. **Repeal and saving.**- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:
Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Government of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary,

SCHEDULE - I
(See rule 5)

S. No.	Name of the posts included in the service	Total number of posts	Appointing Authority	Classification	Pay-Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Secretary	1	State Government	Class-I	37400-67000 + Grade Pay 8700
2.	Legal Advisor	1	State Government	Class-I	As per Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012
3.	Deputy Secretary	1	State Government	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 7600
4.	Exam Controller	1	State Government	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 6600
5.	Under Secretary	2	Commission/ State Government	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 6600
6.	Deputy Director (Finance)	1	State Government	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 6600
7.	Additional Exam Controller	1	Commission/State Government	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400
8.	Law Officer (Temporary)	1	Commission	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400
9.	Programmer	2	Commission	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400
10.	Statistical Officer (Temporary)	1	Commission	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400
11.	Deputy Exam Controller	1	State Government	Class-II	9300-34800 + Grade Pay 4400
12.	Section Officer	7	Commission	Class-II	9300-34800 + Grade Pay 4400
13.	Personal Secretary	2	Commission	Class-II	9300-34800 + Grade Pay 4400
14.	Assistant Programmer	1	Commission	Class-III	9300-34800 + Grade Pay 4300
15.	Junior Accounts Officer	1	State Government	Class-III	9300-34800 + Grade Pay 4300
16.	Stenographer / Personal Assistant	3	Commission	Class-III	9300-34800 + Grade Pay 4300
17.	Assistant Grade - I	16	Commission	Class-III	9300-34800 + Grade Pay 4300
18.	Librarian	1	Commission	Class-III	9300-34800 + Grade Pay 4200
19.	Store Keeper	1	Commission	Class-III	9300-34800 + Grade Pay 4200

20.	Stenographer Grade-III	5	Commission	Class-III	5200-20200 + Grade Pay 2800
21.	Assistant Grade - II	16	Commission	Class-III	5200-20200 + Grade Pay 2400
22.	Data Entry Operator	04	Commission	Class-III	5200-20200 + Grade Pay 2400
23.	Steno Typist	03	Commission	Class-III	5200-20200 + Grade Pay 1900
24.	Assistant Grade - III	32	Commission	Class-III	5200-20200 + Grade Pay 1900
25.	Driver	8	Commission	Class-III	5200-20200 + Grade Pay 1900
26.	Driver (Temporary)	2	Commission	Class-III	5200-20200 + Grade Pay 1900
27.	Daftary	3	Commission	Class-IV	4750-7440 + Grade Pay 1400
28.	Jamadar	1	Commission	Class-IV	4750-7440 + Grade Pay 1400
29.	Peon	16	Commission	Class-IV	4750-7440 + Grade Pay 1300
30.	Dak Runner	2	Commission	Class-IV	4750-7440 + Grade Pay 1300
31.	Pharrash	2	Commission	Class-IV	4750-7440 + Grade Pay 1300
32.	Driver	1	Commission		Collector Rate
33.	Peon	8	Commission		Collector Rate
34.	Gardner	2	Commission		Collector Rate
35.	Cleaner	2	Commission		Collector Rate
	Total	152			

SCHEDULE - II
(See rule - 6)

S. No.	Name of service/posts	Total number of duty post	Percentage of number of the posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See rule 6 (2) (a)]	By promotion [See rule 6 (2) (b)]	By transfer/ deputation of person from other services [See rule 6 (2) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
CHHATTISGARH PUBLIC SERVICE COMMISSION						
1.	Secretary	1			100%	Indian Administrative Service
2.	Legal Advisor	1				Contractual (by contractual appointment of person equivalent to the rank of retired District Judge)
3.	Deputy Secretary	1			100%	Indian Administrative Service /State Administrative Service
4.	Exam Controller	1			100%	State Administrative Service / Higher Education Department
5.	Under Secretary	2		50%	50%	State Administrative Service / By promotion from Commission
6.	Deputy Director (Finance)	1			100%	State Finance Services
7.	Additional Exam Controller	1			100%	State Administrative Service/ By additional charge to Senior Officer of IT Section of Commission

8.	Law Officer (Temporary)	1	100%			
9.	Programmer	2	100%			
10.	Statistical Officer (Temporary)	1				
11.	Deputy Exam Controller	1			100%	On deputation from School Education
12.	Section Officer	7		100%		
13.	Personal Secretary	2		100%		
14.	Assistant Programmer	1	100%			
15.	Junior Account Officer	1			100%	On deputation from Finance Department/ State Sub Ordinate Accounts Service
16.	Stenographer/ Personal Assistant	3		100%		
17.	Assistant Grade-I	16		100%		
18.	Librarian	1	100%			
19.	Store Keeper	1	100%			
20.	Stenographer	5	60%	40%		
21.	Assistant Grade - II	16		100%		
22.	Data Entry Operator	04	100%			
23.	Steno Typist	03	100%			
24.	Assistant Grade - III	32	75%	25%		25% of total vacancies of Assistant Grade - III will be filled up with Class-IV employees by promotion who have passed (10+2) from a recognized Board. Or Higher Secondary Certificate (Old Course) with first year exam Passed from a recognized University.

25.	Driver	10	100%			
26.	Daftary	3		100%		
27.	Jamadar	1		100%		
28.	Peon / Dak Runner	18	100%			
29.	Pharrash	2	100%			
30.	Driver (Collector Rate)	1	Commission			Collector Rate
31.	Peon (Collector Rate)	8	Commission			
32.	Gardner (Collector Rate)	2	Commission			
33.	Cleaner (Collector Rate)	2	Commission			

SCHEDULE-III

(See rule 8)

S. No.	Name of Service/Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Minimum Educational/Technical Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PUBLIC SERVICE COMMISSION					
1.	Law Officer (Temporary)	21 years	30 years	First Division Graduation in Law from recognised University/ Deemed University/ Open University and 5 year of experience as Advocate in High Court.	
2.	Programmer	--do--	--do--	First Division Post Graduation Degree in Computer Application (MCA) from recognised University/ Deemed University/ Open University. Or First Division Postgraduate Engineering Degree in Computer Science/ Information Technology from recognised University/ Deemed University/ Open University.	
3.	Statistical Officer	--do--	--do--	First Division Post Graduation Degree in Mathematics/ Statistics/Economics/ Commerce from recognised University/ Deemed University/ Open University.	

4.	Assistant Programmer	--do--	--do--	First Division Graduation Degree in Computer Application from recognised University/ Deemed University/ Open University. Or First Division Engineering Degree in Computer Science/ Information Technology from recognised University/ Deemed University/ Open University.	
5.	Librarian	--do--	--do--	First Division Degree in Library Science from recognised University/ Deemed University/ Open University.	
6.	Store Keeper	--do--	--do--	First Division Degree in Store Keeping from recognised University/ Deemed University/ Open University. Or First Division graduation Degree in any subject and diploma in Store Keeping from recognised University/ Deemed University/ Open University.	
7.	Stenographer	18 years	30 years	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of	

				Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography \(Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
8.	Data Entry Operator	--do--	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).	
9.	Steno Typist	--do--	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	

10.	Assistant Grade-III	--do--	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
11.	Driver	--do--	--do--	(1) Should have passed 8th examination from any recognized Board and should have Driving Licence (Light Motor Vehicle). (2) As per other criterion decided by Commission.	Should have primary knowledge of electric fitting of vehicle, changing tyre and machinery
12.	Peon/Dak Runner	--do--	--do--	(1) Should have passed 8th examination with atleast second division from any recognized Board. (2) As per other criterion decided by Commission.	
13.	Farrash	--do--	--do--	(1) Should have passed 8th examination with atleast second division from any recognized Board. (2) As per other criterion decided by Commission.	

Note :- The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE-IV
(See rules 16)

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Name of the post from which promotion is to be made</th><th>Name of the post in to which promotion is to be made</th><th>Minimum experience</th><th>Departmental Promotion Committee</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Section Officer</td><td>Under Secretary</td><td>05 years</td><td>To be nominated by Hon'ble Chairman of Commission, from time to time</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Assistant Grade-I</td><td>Section Officer</td><td>05 years</td><td rowspan="8">To be nominated by the Secretary of the Commission, from time to time</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Personal Assistant</td><td>Personal Secretary</td><td>05 years</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Stenographer</td><td>Personal Assistant</td><td>05 years</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Assistant Grade-II</td><td>Assistant Grade-I</td><td>05 Years</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Assistant Grade-III</td><td>Assistant Grade-II</td><td>05 years</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Steno Typist</td><td>Stenographer</td><td>05 years</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Peon/Dak Runner (H.S. 10+2 Pass)</td><td>Assistant Grade-III</td><td>05 years</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Peon/Dak Runner</td><td>Jamadar/ Daftari</td><td>05 years</td></tr>
</table>

Note:- (1) Limited Departmental Exam may be conducted for promotion in accordance with the, notification issued by the General Administration Department of the Government/Decision of Commission.

(2) If promotion on any post is possible from more than one post of direct recruitment then qualification required for promotion shall be same as that of direct recruitment post with maximum qualification. For promotion it is also necessary that junior most posts in promotion channel should be filled by direct recruitment. In case of promotion from more than one post then the direct recruitment on any of such post in the promotional channel shall also be acceptable.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.